PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 771 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 28.05.2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–270/XXXVII(7)02/2016 दिनांक 07.11.2017 एवं शासनादेश संख्या–143/XXXVII(7)02/2016 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा उन कार्मिकों को जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व वेतनमान / ग्रेड वेतन में वेतन आहरित कर रहे हैं, को निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

तिथि, जिस दिन से देय है	छठे वेतन मान में प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड पे)
01 जुलाई, 2017	(वेतन + ग्रेड पे) का 139 प्रतिशत
01 जनवरी, 2018	(वेतन + ग्रेड पे) का 142 प्रतिशत

2. उपरोक्त स्वीकृत महगाई भत्तें की दर उन कार्मिकों पर लागू नही होगी, जिन कार्मिकों का वेतन सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष निर्धारित किया जा चुका है।
3. उपरोक्त स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन / भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. उपरोक्त स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2017 सें 31 अक्टूबर, 2017 तक एवं दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक की बढ़ी धनराशि को कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा
5. दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से 3 प्रतिशत (139 प्रतिशत) एवं दिनांक 01 मई, 2018 से 3 प्रतिशत (142 प्रतिशत) की दर से कार्मिकों को मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः–2

6. कर्मचारी भविष्य निधि (Employees P.F.) से आच्छादित कार्मिकों को कारपोरेशन में मंहगाई भत्ते के एरियर की बारह प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात् पूर्व से ही शेष नकद भुगतान के आदेश किए जाते रहे है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के एरियर की बारह प्रतिशत (12 प्रतिशत) धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात् शेष नकद भुगतान किया जाएगा।
7. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (ड्यूटी पीरिएड) के लिए माना जाता है।
8. उपरोक्त स्वीकृत मंहगाई भत्ते के देय धनराशि की गणना क्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे सके कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़कर दिया जायेगा।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 771 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना) पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) / महाप्रबन्धक पिटकुल..।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
5. उपमहाप्रबन्धक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत् आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..।
7. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)